File No.AGR/10/0120/2020-O/o Addl_Dir-FWAD

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक: 5/2021/FWAD 19/01/2021

प्रति,

उप संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
जिला - समस्त (म0प्र0)

विषय: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत बलराम ताल निर्माण के पुनरीक्षित मार्गदर्शी निर्देश ।

विषयांतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्मित किये जाने वाले बलराम ताल निर्माण के लिये प्रशासकीय अनुमोदन के क्रम में, पुनरीक्षित मार्गदर्शी निर्देश संलग्न प्रेषित हैं।

योजना के अंतर्गत पुनरीक्षित निर्देशों का विधिवत पालन करते हुए, नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(दिलीप कुमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

प्रतिलिपि :-1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म0प्र0 भोपाल ।

2. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, सह कृषि उत्पादन आयुक्त किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल ।

3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल ।

4. कलेक्टर जिला----समस्त (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

5. संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

6. संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग---- की ओर सूचनार्थ एवं संभाग से संबंधित जिलों में संलग्न अनुसार मार्गदर्शी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत बलराम ताल निर्माण के पुनरीक्षित मार्गदर्शी निर्देश

प्रस्तावना :- कृषि के समग्र विकास के लिए सतही एवं भूमिगत जल की उपलब्धता को संमृद्ध करने करने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बलराम तालाब योजना प्रदेश में 25 मई 2007 से संचालित की गई। योजनान्तर्गत कृषकों द्वारा स्वयं निर्मित संरचनाओं से फसलों को जीवन रक्षक सिंचाई उपलब्ध हुई तथा रबी की बुआई के पूर्व पलेवा कर रबी फसलों में भी योजना का लाभ प्राप्त किया गया।

वर्ष 2007-08 से 2015-16 तक योजना का क्रियान्यन राज्य मद से किया गया तथा वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक केन्द्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत किया गया। वर्ष 2019-20 में इस योजना के लिए प्रावधान प्राप्त नहीं हुआ। वर्ष 2020-21 से इस योजनान्तर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रावधान स्वीकृत किया गया है। योजना के क्रियान्वयन में पूर्व से प्रावधानित अनुदान दरों को यथावत रखते हुए यह आवश्यक किया जा रहा है कि जिन कृषकों के खेतों में पूर्व से स्प्रिंकलर या ड्रिप इरीगेशन यंत्र स्थापित है मात्र उन्ही कृषकों को इस योजना का लाभ नवीन प्रावधान से प्रदान किया जावेगा।

2. परियोजना का स्वरूप:-

परियोजना प्रदेश के समस्त जिलों के लिये लागू होगी इस योजना से समस्त वर्गो के कृषकों को लाभान्वित किया जा सकेगा। परियोजना का क्रियान्वयन कृषि विभाग के माध्यम से किया जायेगा। जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण राज्य स्तर से किया जायेगा। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा विकासखण्डवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जायेगा। जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उप संभाग कृषि एवं जिले के सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी सदस्य होंगे।

इस योजना में सामान्य कृषकों को अपने खेतों में बलराम ताल निर्माण हेतु स्वीकृत लागत की प्रावधानित अनुदान 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 80,000/- के अतिरिक्त लगने वाली राशि का व्यय स्वयं वहन करना होगा, इसी प्रकार लघु सीमांत कृषकों को स्वीकृत लागत के अनुसार प्रावधानित अनुदान 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 80,000/- के अतिरिक्त लगने वाले व्यय का वहन स्वयं करना होगा, इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को स्वीकृत लागत के अनुसार प्रावधानित अनुदान 75 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 1,00,000/- के अतिरिक्त लगने वाले व्यय का वहन स्वयं करना होगा।

3. आवदेनों का पंजीकरण:-

- बलराम ताल निर्माण हेतु कृषक द्वारा ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जावेगा।
- बलराम तालाब निर्माण के लिए वे कृषक ही पात्र होंगे जिनके पास वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं उसके पश्चात प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित किसी भी योजना के माध्यम से ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट की स्थापना की गई हो एवं वर्तमान वह चालू स्थिती में हों इसका सत्यापन भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी द्वारा किया जाकर आवेदन में इसकी टीप अंकित की जाकर कृषक का आवेदन मान्य किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- पोर्टल से आवेदन पत्रों को भूमि संरक्षण उपसंभाग के भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी द्वारा प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु रजिस्टर में संकलन किया जावेगा।
- भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी द्वारा परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जावेगा कि कृषक द्वारा प्रस्तावित भूमि उसके स्वयं के स्वामित्व में है अथवा पट्टे से प्राप्त भूमि है। पट्टे की भूमि जिस पर कृषक काबिज नही अथवा अतिक्रमित भूमि पर निर्माण कार्य स्वीकृत नही किये जायेंगे।
- भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा की प्रस्तावित स्थल पर किसी भी विभाग की किसी भी योजना के अन्तर्गत पूर्व में कोई जलसंग्रहण संरचना निर्मित नही हो। उचित होगा कि कार्य प्रारंभ होने के पूर्व कृषक के साथ स्थल का एक फोटोग्राफ ले लिया जाये।
- भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची बनाकर मूल आवेदन सहित सहायक भूमि सरंक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा विकासखण्डवार दो पृथक-पृथक पंजिया संधारित की जावेगी। एक पंजी में स्ववित्तीय प्रकरण एक दूसरी पंजी में बैंक ऋण प्रकरण पंजीकृत किये जावेंगे।
- सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी सभी पंजीकृति प्रकरणों को क्षेत्र के संबंधित कृषि विकास अधिकारी/ भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी को स्थल निरीक्षण हेतु उपलब्ध करावेंगे।
- भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी द्वारा तत्काल स्थल का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र एक के भाग दो में अंकित कर पूर्ण आवेदन पत्र अधिकतम दो दिवस में कृषि विकास अधिकारी भूमि संरक्षण को प्रस्तुत किया जावेगा।
- कृषि विकास अधिकारी (भूमि संरक्षण) परीक्षण उपरांत अपनी अनुसंसा सहित आवेदन पत्र तकनीकी स्वीकृति के लिए सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

4. योजना निर्माण एवं प्राक्कलन:-

- कार्य का प्राक्कलन वर्तमान में जिले मे प्रभावी ग्रामीण यंत्रिकी सेवा की दर अनुसूची के आधार पर भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी द्वारा तैयार किया जावेगा।
- भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी भूमि संरक्षण द्वारा स्थल परीक्षण के समय खुदाई स्थल की मांप की जावेगी और संभावित गहराई का आकलन किया जोवगा। जिसके आधार पर कुल संभावित मिट्टी कार्य की गणना की जा सकेगी। यह गणना उपलब्ध संभावित स्ट्रेटा के आधार पर की जावेगी।
- संभावित खुदाई स्थल के ऊपर के क्षेत्र से 1.5:1 का स्लोप मानते हुये संभावित गहराई पर नीचे के क्षेत्रफल की गणना की जावेगी। और औसत क्षेत्रफल गहराई के आधार पर कुल मिट्टी आंकलित किया जावेगा।

- प्राक्कलन मे केवल खुदाई के व्यय की गणना की जावेगी। मिट्टी डालने अथवा ट्रान्सपोर्ट का व्यय कृषक स्वंय को वहन करना होगा।
- इनलेट एवं आउटलेट के निर्माण अनिवार्य होगा। इनके निर्माण हेतु भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी/कृषि विकास अधिकरी/सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा मार्गदर्शन दिया जायेगा।

5. योजनाओं की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति

प्रकरणों को सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी अपनी अनुसंशा सहित उपसंचालक कृषि को प्रेषित करेंगे। उप संचालक कृषि प्रकरणों पर तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति हेतु सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी को वापिस भेजेंगे। सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी इन प्रकरणों की तकनीकी स्वीकृति का पूर्ण विवरण दर्ज कर सूची जनपद पंचायत की कृषि स्थाई समिति को प्रेषित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करेंगे।

6. कार्य संपादन की प्रक्रिया

स्ववित्तीय प्रकरण:-

- प्रकरणों की प्रशासनिक स्वीकृति होने के पश्चात कृषक निर्धारित ड्राईंग/डिजाइन के अनुरूप तालाब का निर्माण प्रारंभ करेंगे। स्थल पर लेखांकन कृषि विकास अधिकारी/ भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- निर्माण कार्य प्रारंभ करने की सूचना कृषक द्वारा लिखित में सहाकय भूमि संरक्षण/कृषि विकास अधिकारी को दी जावेगी।
- अनुदान की प्रात्रता निर्माण पर आधारित होगी। ''अर्थात प्रथम निर्माण प्रथम अनुदान'' की पद्धति से अनुदान जारी किया जावेगा।
- 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने की सूचना कृषक द्वारा सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी को देनी होगी। जिसके पश्चात कृषि विकास अधिकारी द्वारा कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा। और मूल्यांकन अनुसार 50 प्रतिशत कार्य पाये जाने पर प्रथम किस्त जारी करने हेतु अनुसंशा की जायेगी।
- कृषि विकास अधिकारी की अनुसंशा के आधार पर अनुदान की प्रथम किस्त सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा डी.बी.टी. प्रक्रिया अनुसार सीधे कृषक के खाते में स्थानांतरित की जावेगी। मूल्यांकन प्रपत्र क्रमांक - 2 मे भरा जायेगा।
- प्रथम किस्त के भूगतान के पश्चात अधिकतम तीन माह में (वर्षाकाल छोड़कर) शेष कार्य पूरा करना आवश्यक होगा जिसकी कृषक लिखित में सूचना प्रस्तुत करेगा।
- शत प्रतिशत कार्य पूर्ण जाने पर इसकी सूचना कृषक द्वारा सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी को दी जायेगी जिसके प्रश्चात भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी द्वारा कार्य का पूर्ण मूल्यांकन किया जोयगा और मूल्यांकन अनुसार शत प्रतिशत कार्य पाये जाने पर द्वितीय/अंतिम किस्त जारी करने हेतु अनुशंसा की जायेगी।
- कृषि विकास अधिकारी की अनुसंशा प्राप्त होने पर कार्य का सत्यापन कर सत्यापन के आधार पर अनुदान की द्वितीय/अंतिम किस्त सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा डी.बी.टी. प्रक्रिया अनुसार सीधे कृषक के खाते में स्थानांतरित की जावेगी। मूल्यांकन प्रपत्र क्रमांक दो में भरा जायेगा।

- किसी प्रकरण में राशि की दुरूपयोग की जानकारी प्राप्त होने पर उप संचालक कृषि द्वारा संबंधित कृषक से अनुदान की राशि की वसूली की कार्यवाही तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही जिले के कलेक्टर के माध्यम से कराई जा सकेगी।

बैंक ऋण प्रकरण:-

- जनपद पंचायत कृषि स्थाई समिति से प्रकरणों की प्रशासनिक स्वीकृति होने के पश्चात सभी आवेदन पत्रों का कृषकों द्वारा चाहे गये बैंको को ऋण स्वीकृति हेतु सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी तीन कार्य दिवस के भीतर अग्रेषित करेंगे।
- योजना में ऋण अदायगी ऋण प्राप्ति के दो वर्षों बाद प्रारंभ होगी (दो वर्ष मोरेटोरियम) एवं 7 वर्षों में ऋण की पूर्ण अदायमी की जायेगी अर्थात ऋण अदायगी की कुल अवधि 9 वर्ष होगी।
- प्राप्त ऋण राशि में से अनुदान की राशि घटाने के बाद शेष राशि पर ही ब्याज की गणना की जायेगी एवं उसी अनुरूप किस्तों का निर्धारण किया जायेगा। ब्याज की दर प्राइम लेण्डिंग रेट से अधिक नहीं होगी।
- बैंक द्वारा ऋण की 50 प्रतिशत राशि कृषक को कार्य प्रारंभ होने के पूर्व एवं शेष 50 प्रतिशत की राशि कृषि विकास अधिकारी द्वारा 50 प्रतिशत कार्य होने की पुष्टि करते हुये प्रपत्र-दो पर प्रमाण-पत्र दिये जाने पर उपलब्ध कराई जावेगी।
- निर्माण कार्य प्रारंभ करने की सूचना कृषक द्वारा लिखित में सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी को दी जायेगी।
- ऋण की प्रथम किस्त के भुगतान के साथ ही कृषक को देय अनुदान राशि की 50 प्रतिशत संबंधित बैंक को उपलब्ध कराई जायेगी। शेष 50 प्रतिशत अनुदान राशि दूसरी किस्त के भुगतान के पश्चात बैंक को उपलब्ध कराइ जायेगी।
- अनुदान की पात्रता निर्माण पर आधारित होगी अर्थात ''प्रथम निर्माण प्रथम अनुदान'' की पद्धति से अनुदान जारी किया जायेगा।
- बैंक द्वारा स्वीकृत पहली किस्त के अनुसार कार्य प्रारंभ करने एवं पूर्ण होने की सूचना कृषक द्वारा लिखित में कृषि विकास अधिकारी/सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी को दी जोवगी। कृषि विकास अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर कार्य का मूल्यांकन किया जावेगा। प्रपत्र दो में पहली किस्त पूर्ण हो जाने का प्रमाण-पत्र सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी के माध्यम से संबंधित बैंक को प्रस्तुत किया जावेगा। बैंक द्वारा प्रमाण-पत्र होने पर दूसरी किश्त प्रदान की जावेगी।
- कृषक द्वारा कार्य पूर्ण होने की लिखित सूचना कृषि विकास अधिकारी को दी जायेगी। कृषि विकास अधिकारी प्रपत्र तीन में कार्य की माप अंकित कर वास्तविक व्यय राशि अंकित करेंगे एवं कृषक के हस्ताक्षण प्राप्त कर सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी देय अनुदान स्वीकृति कर संबंधित बैंक को भेजकर समयोजित करायेंगे कार्यालय में इस हेतु रखी गई पंजी में समायोजित राशि का विवरण भी संधारित करेंगे।
- स्ववित्तीय प्रकरणों की भांति इन प्रकरणों में भी प्रथम किस्त के भुगतान के पश्चात अधिकतम तीन महा में (वर्षाकाल छोड़कर) शेष कार्य पूरा करना आवश्यक होगा जिसकी कृषक लिखि में सूचना प्रस्तुत करेगा।

7. निर्माण हेतु तकनीकी दिशा निर्देशः-

- जल संग्रहण हेतु खेतों का सबसे निचला हिस्सा ही सबसे उचित स्थान होता है और वहां कि मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है अतः ऊपर की सतह पर जमा उपजाऊ मिट्टी का उपयोग बंधान हेतु नही किया जाना चाहिये इसे खोदकर खेत मे ही विखरने की सलाह कृषकों को दी जाना चाहिये शेष मिट्टी का उपयोग बंधान में किया जाये।
- बलराम ताल निर्माण हेतु आदर्श माडल सुझाये गये हैं लेकिन चूंकि ये ताल कृषकों को अपनी निजी भूमि में जमीन की सतह के नीचे खोदना होगा अतः तालाब की लंबाई, चैड़ाई कृषक के भूमि उपलब्धता पर भी निर्भर होगी। ताल की गहराई अपवाद परिस्थितियों को छोड़कर 3 मीटर ही रखी जाये।
- खुदाई स्थल की चैड़ाई भी किसी भी स्थिति में 15 मीटर से कम न रखी जाये।
- खुदाई करते समय साइड स्लोप 1.5ः1 रखा जाये ताकि मिट्टी के धसकने की आशंका न रहे।
- खोदी गई मिट्टी की मात्रा को कृषक अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी स्थान पर उपयोग कर सकता है, किन्तु यदि मिट्टी को बंधान के रूप में कृषक द्वारा उपयोग किया जाता है तो यह मिट्टी कम से कम एक मीटर दूर डाली जाये, ताकि खुदई स्तर आसानी से नापा जा सके। साथ ही ताल की क्षमता को बढ़ाया जा सके ऐसा करने से बरसात के समय में बंधान की मिट्टी वापिस ताल में नही आ पाती।
- सुरक्षा की दृष्टि से स्थल पर बोर्ड लगाना आवश्यक होगा ताकि तालाब में गिरने जैसी घटित नही हो सके। यह कृषक को स्वयं के व्यय से लगाना होगा। बोर्ड के आभाव में किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये कृषक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- तालाब के बंधान पर अरहर (तुअर) अथवा अन्य उपयुक्त फसलें लगाई जा सकती हैं, जिससे कि बंधान के साथ कृषक को कुछ आर्थिक लाभ हो सके। तालाब में मछली पालन एवं बतक पालन कर कृषक अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते है।

8. मूल्यांकन प्रक्रियाः-

- निर्माण के दौरान कृषि विकास अधिकरी कम से कम दो बार स्थल पर जाकर कृषकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदाय करेंगे एवं संरचना का मूल्यांकन करेंगे।
- मूल्यांकन हेतु प्रपत्र दो एवं प्रपत्र तीन निर्धारित किये गये है। इन प्रपत्रों मे संरचना की माप के आधार पर कुल मिट्टी कार्य की गणना की जायेगी।
- मिट्टी कार्य के मूल्यांकन हेतु केवल जमीन स्तर के नीचे खोदी गई मात्रा का माप लिया जावेगा। एवं खोदी गई मिट्टी की मात्रा का आंकलन किया जायेगा। विभिन्न स्टेटा हेतु दरें वहीं ली जावेगी। जो प्रभावी ग्रामीण यंत्रिकी सेवा की दर अनुसूची के अनुरूप होगी।

9. पर्यवेक्षण निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन:-

- जिले में बलराम ताल योजना के सूचारू रूप से संचालन एवं परिवेक्षण हेतु उप संचालक कृषि पूर्ण रूप जिम्मेदार होगें।
- प्रत्येक अधिकारी द्वारा भ्रमण के दौरान उस क्षेत्र में निर्मित एवं निर्माणाधीन बलराम ताल संरचनाओं का निरीक्षण किया जायेगा।
- भौतिक सत्यापन हेतु विभिन्न अधिकारियों के लक्ष्य निम्नानुसार रहेंगे:-

उप संचालक कृषि	5 प्रतिशत
सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	20 प्रतिशत
अनुविभागीय कृषि अधिकारी	20 प्रतिशत
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	30 प्रतिशत
कृषि विकास अधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी	100 प्रतिशत

भौतिक सत्यापन हेतु सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी एवं अनुविभागीय कृषि विकास अधिकारी को विकास खण्डों का आवंटन संचालक कृषि द्वारा किया जायेगा।

10. प्रावधान एवं पात्रता:-

योजनान्तर्गत लघु सीमान्त, अनुसूचित जाति एवं जन जाति हेतु मूल्यांकन अनुसार वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रू.1,00000, लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए वास्तवितक व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 80,000 तथा शेष वर्गो के लिये मूल्यांकन अनुसार वास्तविक व्यय का 40 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 80,000 रूपये अनुदान देय होगा।

11. परिणाम:-

परियोजना के अन्तर्गत निर्मित जल संग्रहण संरचनाओं से कृषक वर्षा के लंबे अंतराल की स्थिति में खरीफ मौसम के दौरान फसलों को जीवन रक्षक सिंचाई उपलब्ध करा सकेंगे। वर्षा के उपरान्त रबी मौसम में बोनी के पूर्व पलेवा हेतु लगभग 3 हेक्टयर क्षेत्र के लिये पानी उपलब्ध होगा। जिससे कृषक रबी मौसम में भी सुनिश्चित फसल ले सकेंगे। इस प्रकार कृषकों को 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत उत्पादन बृद्धि का लाभा प्राप्त होगा। जिससे कृषक इस कार्य हेतु लिये गये ऋण की आदायगी भी आसानी कर सकेंगे।

12. प्रगति प्रतिवेदन:-

- सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी एवं उप संचालक कृषि स्तर पर प्रगति पंजी का संधारण किया जायेगा। बैंको द्वारा प्रत्येक माह दिये गये ऋण एवं प्राप्त अनुदान की जानकारी सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा संकलित कर जिले के उपसंचालक कृषि को 5 तारीख तक प्रेषित की जावेगी।
- उप संचालक कृषि बैंको से प्राप्त वित्तीय जानकारी एवं सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी से प्राप्त निर्मित एवं निर्माणाधीन संरचनाओं की जानकारी संकलित कर संचालक कृषि को प्रत्येक माह 10 तारीख को उपलब्ध करायेंग।
- राज्य शासन स्तर पर प्रत्येक माह की 15 तारीख को प्रगति की समीक्षा एवं मूल्यांकन किया जायेगा।

1. **PMKSY** योजनान्तर्गत बलराम ताल हेतु प्रस्तावित आकार एंव प्राक्कलन (आर.ई.एस. विभाग की वर्तमान में प्रचलित दर अनुसार प्रस्तावित आकार के प्राक्कलन की राशि)

कृषक ..... पिता/पति .....

जाति वर्ग ..... ग्राम ..... विकासखण्ड .....

बलराम ताल का प्रस्तावित आकार

ऊपरी तल की लंबाई	35.00 मी.
ऊपरी ताल की चैडाई	25.00 मी.
गहराई	3.00 मी.
साइड स्लोप	1.50 मी.
नीचे के तल की लम्बाई	26.00 मी.
नीचे के तल की चैडाई	16.00 मी.
ऊपरी तल का क्षेत्रफल	875.00 वर्ग मी.
नीचे के तल का क्षेत्रफल	416.00 वर्ग मी.
औसत क्षेत्रफल	645.00 वर्ग मी.
कुल आयतन/मिट्टी कार्य	1936.50घन मी.

सग्रहित जल का उपयोग

प्रति हेक्टेयर जल की आवश्यकता	800.00घन मी.
सिंचित क्षेत्र	2.421 हे. लगभग

इनलैट एवं आउटलेट के आकार

इनलैट की लम्बाई	6.00 मी.
आउटलेट की लम्बाई	5.00 मी.
कुल लम्बाई	11.00 मी.
क्रास सेक्शन	1.00 वर्ग मी.
कुल बोल्डर कार्य	11.00 घन मी.

प्राक्कलन **वर्तमान दर अनुसार (12.02.2016) R.E.S.**

विवरण	प्रतिशत	मात्रा	इकाई	दर रू. में	कुल राशि रू. में	
कुल मिट्टी कार्य	100%	1936.50	धन मी.			
कड़ी मिट्टी	40%	774.60	धन मी.	70.80	54841.68	0301 (ख)
कड़ी मुरूम	50%	968.25	धन मी.	93.80	90821.85	0301 (ग)
नरम चट्टान	10%	193.65	धन मी.	243.70	47192.51	0302 (क)
बोल्डर कार्य		11.00	धन मी.	660.24	7262.64	1808 (ख) 1902 B,2311
योगः-					**200118.68**	

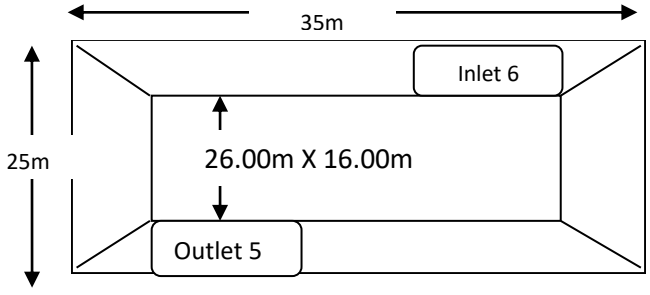

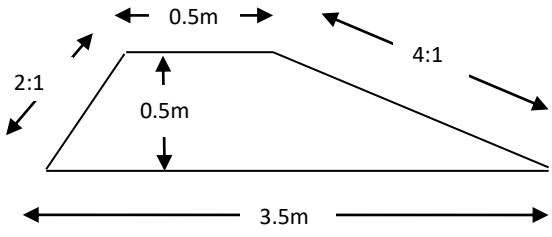

भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी **कृषि विकास अधिकारी** **सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी**

केन्द्र ..... केन्द्र ..... उपसंभाग ..... जिला .....

2. PMKSY योजनान्तर्गत बलराम ताल हेतु प्रस्तावित आकार एंव प्राक्कलन (आर.ई.एस. विभाग की वर्तमान में प्रचलित दर अनुसार प्रस्तावित आकार के प्राक्कलन की राशि)

कृषक ..... पिता/पति .....

जाति वर्ग ..... ग्राम ..... विकासखण्ड .....

बलराम ताल का प्रस्तावित आकार

ऊपरी तल की लंबाई	40.00 मी.
ऊपरी ताल की चैडाई	30.00 मी.
गहराई	3.00 मी.
साइड स्लोप	1.50:1 मी.
नीचे के तल की लम्बाई	31.00 मी.
नीचे के तल की चैडाई	21.00 मी.
ऊपरी तल का क्षेत्रफल	1200.00 वर्ग मी.
नीचे के तल का क्षेत्रफल	651.00 वर्ग मी.
औसत क्षेत्रफल	925.50 वर्ग मी.
कुल आयतन/मिट्टी कार्य	2776.5 घन मी.

सग्रहित जल का उपयोग

प्रति हेक्टेयर जल की आवश्यकता	800.00 घन मी.
सिंचित क्षेत्र	3.471 हे. लगभग

इनलैट एवं आउटलेट के आकार

इनलैट की लम्बाई	4.00 मी.
आउटलेट की लम्बाई	3.00 मी.
कुल लम्बाई	7.00 मी.
क्रास सेक्शन	1.00 वर्ग मी.
कुल बोल्डर कार्य	7.00 घन मी.

प्राक्कलन **वर्तमान दर अनुसार (12.02.2016) R.E.S.**

विवरण	प्रतिशत	मात्रा	इकाई	दर रू. में	कुल राशि रू. में	
कुल मिट्टी कार्य	100%	2776.50	धन मी.			
कड़ी मिट्टी	100%	2776.50	धन मी.	70.80	196576.20	0301 (ख)
बोल्डर कार्य		7.00	धन मी.	660.24	4621.68	1808 (ख) 1902 B,2311
योगः-					**201197.88**	

Say 201197/-

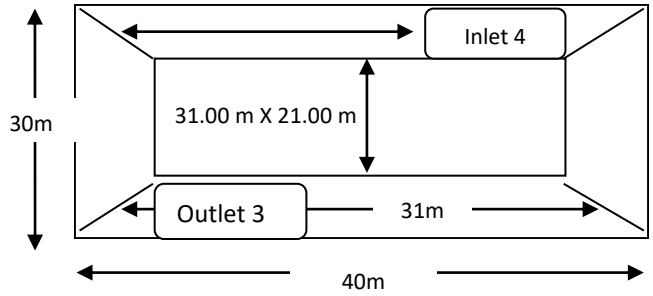

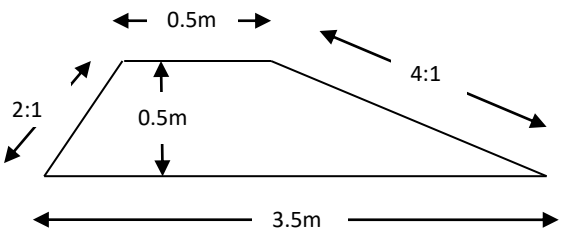

भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी
केन्द्र .....

कृषि विकास अधिकारी
केन्द्र .....

सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी
उपसंभाग ..... जिला .....

प्रपत्र - 1

बलराम ताल योजना हेतु आवेदन

1. कृषक का नाम
2. कृषक के पिता/पति का नाम
3. ग्राम
4. विकास खण्ड
5. कृषक द्वारा धारित कुल भूमि
6. प्रस्तावित संरचना के खेत का खसरा नं.
7. प्रस्तावित संरचना की अनुमानित लागत लगभग रू. .....
8. बैंक का नाम जहां से ऋण लिया जाना है।
9. कुल ऋण राशि
10. स्थल चयनकर्ता
11. स्थल चयन का दिनांक

हस्ताक्षर कृषि विकास अधिकारी हस्ताक्षर कृषक

प्रति]

सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी,

उपसंभाग..... जिला

कृपया उपरोक्त विवरण अनुसार बलराम ताल के निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण संबंधित बैंक को अग्रेषित करें। ऋण प्राप्त होने पर कृषि विकास अधिकारी के तकनीकी मार्गदर्शन उपरंात मेरे द्वारा कार्य कराया जावेगा। ऋण की अदायगी निर्धारित समय पर करने हेतु मैं अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। ऋण की अदायगी नही करने की स्थिती में की जाने वाली बैधानिक कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी।

हस्ताक्षर कृषक

कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी उप संभाग ..... जिला .....

क्रमांक ..... दिनांक .....

प्रति]

शाखा प्रबंधक .....

उपरोक्तानुसार कृषक श्री ..... को बलराम ताल निर्माण हेतु राशि रू. ..... का ऋण योजना के प्रावधान अनुसार स्वीकृति करने की अनुशंसा की जाती है।

सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी

प्रपत्र - 2

मूल्यांकन पत्रक (कार्य की 50% पूर्णता उपरान्त)

1. कृषक का नाम

2. कृषक के पिता/पति का नाम

3. ग्राम

4. विकास खण्ड

5. मिट्टी कार्य की माप

विवरण	स्ट्रेटा 1	स्ट्रेटा 2	स्ट्रेटा 3
ऊपरी लंबाई			
ऊपरी चैड़ाई			
तल की लंबाई			
तल की चैड़ाई			
ऊपर का क्षेत्रफल			
तल का क्षेत्रफल			
औसत क्षेत्रफल			
(सूत्र अनुसार) गहराई			
कुल मात्रा			
स्वीकृत दर			
कुल राशि			

6. कार्य की कुल राशि (स्ट्रेटा 1 $ स्ट्रेटा 2 $ स्ट्रेटा 3)

7. माप का दिनांक .....

8. अनुशंसित राशि .....

कृषक के हस्ताक्षर माप करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रति]

सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी
उप संभाग ..... जिला .....

मेरे द्वारा पहली किस्त की राशि का पूर्ण उपयोग कर तालाब का निर्माण कार्य किया जा रहा है। कृपया उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर देय शेष राशि रू. ..... की स्वीकृति प्रदान करें, जिससे कि मेरे द्वारा कार्य पूर्ण किया जा सके।

कृषक के हस्ताक्षर

प्रपत्र - 3

मूल्यांकन पत्रक (कार्य की 50% पूर्णता उपरान्त)

1. कृषक का नाम

2. कृषक के पिता/पति का नाम

3. ग्राम

4. विकास खण्ड

5. मिट्टी कार्य की माप

विवरण	स्ट्रेटा 1	स्ट्रेटा 2	स्ट्रेटा 3
ऊपरी लंबाई			
ऊपरी चैड़ाई			
तल की लंबाई			
तल की चैड़ाई			
ऊपर का क्षेत्रफल			
तल का क्षेत्रफल			
औसत क्षेत्रफल			
(सूत्र अनुसार) गहराई			
कुल मात्रा			
स्वीकृत दर			
कुल राशि			

6. कार्य की कुल राशि (स्ट्रेटा 1 $ स्ट्रेटा 2 $ स्ट्रेटा 3)

7. माप का दिनांक .....

8. अनुशंसित राशि .....

कृषक के हस्ताक्षर माप करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रति]

सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी
उप संभाग ..... जिला .....

मेरे द्वारा प्राप्त राशि का पूर्ण उपयोग कर तालाब का निर्माण कार्य किया जा चुका है। इस हेतु आवश्यक इनलेट एवं आउटलेट का निर्माण एवं तालाब पर बोर्ड मेरे द्वारा स्वयं के व्यय से लगा लिया जायेगा। तालाब में किसी भी प्रकार की जन धन की हानि नहीं होने के लिये मेरे द्वारा पूर्ण सावधानी बरती जायेगी।

कृषक के हस्ताक्षर